बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का रेगुलेशन और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2023

- हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का रेगुलेशन और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 5 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। बिल हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का रेगुलेशन और नियंत्रण) एक्ट, 2005 में संशोधन करता है। एक्ट भूजल उपयोग के रेगुलेशन से संबंधित प्रावधान करता है, जिसमें उपयोगकर्ताओं का भूजल निकालने के लिए पंजीकरण कराना और परमिट लेना शामिल है। ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है।

- **सजा**: एक्ट के तहत अपराधों में हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण या अन्य विधिवत नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने में बाधा डालना या जानकारी न देना शामिल है। इनमें एक्ट के नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन न करना भी शामिल है। पहली बार एक्ट का उल्लंघन करने के अपराध के लिए पांच साल तक का कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिल सजा के तौर पर कारावास को हटाता है और जुर्माने को बरकरार रखता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सिद्धार्थ मंदरेकर राव
siddharth@prsindia.org

11 मई, 2023